

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 28.09.2025 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:

- ❖ थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा परिवाद संख्या 1032/14 धारा 323/504/506 भादवि0 सम्बन्धित अभियुक्त आनंद पुत्र राजेंद्र सिंह निवासी दुल्लापुर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त 1- मनोज कुमार पुत्र स्व० अमर सिंह, 2- योगेन्द्र कुमार पुत्र स्व० अमर सिंह, 3-वीर सिंह पुत्र स्व० अमर सिंह, 4-राजू पुत्र देवी प्रसाद सभी निवासी गण निवासी ग्राम-चैनपुर, चौकी रूवाहार, थाना-अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात विपक्षीगण द्वारा वादी के पुत्र को चाय व नाश्ते में जहर मिलाकर दे देना तथा उपचार हेतु हास्पिटल ले जाते समय वादी के पुत्र की मृत्यु हो जाने संबंध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 443/2025 धारा 123/105 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त बनाम- बलवन्त कुमार पुत्र रमेशचन्द्र निवासी मांचा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 37 वर्ष बावत अभियुक्त बलवन्त कुमार पुत्र रमेशचन्द्र निवासी मांचा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 20 अदद क्वार्टर ट्विन टावर ब्रांड देशी शराब नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में पंजीकृत कर मु0अ0सं0 326/2025, धारा 60 आबकारी अधिनियम विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना मूसानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त रावेन्द्र कुमार उम्र 33 वर्ष पुत्र दयाराम निवासी ग्राम चाँदपुर थाना मूसानगर जनपद अभियुक्त द्वारा सार्वजनिक स्थान शनिदेव मन्दिर के बाहर गेट के पास सड़क किनारे खड़े होकर आने जाने वाली महिलाओ/लडकियों को देखकर गन्दे इशारे करते हुए अश्लील हरकते करने जिससे महिलाओ/लडकियों को शर्मिंदगी महसूस होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 76/2025 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना देवराहट पुलिस द्वारा अभियुक्त गोविन्द पुत्र सूरज दयाल उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम अहरौली घाट थाना देवराहट जनपद कानपुर ग्राम कलुआताला के मोड़ के पास अभियुक्त द्वारा रास्ते में आने जाने वाली लडकियों को देखकर अश्लील हरकते व गाना गाने के संबंध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 31/2025 धारा 296(B) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना बरौर पुलिस द्वारा अभियुक्त मित्रपाल सिंह उर्फ धनीराम पुत्र मलखे सिंह निवासी ग्राम बेड़ामऊ थाना बरौर कानपुर देहात उम्र करीब 35 वर्ष अभियुक्त द्वारा सावर्जनिक स्थान पर आने जाने वाली महिलाओ व लडकियों को देखकर गन्दे-गन्दे कमेण्ट करने के संबंध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 45/2025 धारा 296(B) बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना शिवली पुलिस द्वारा अभियुक्त मयंक बाजपेयी पुत्र श्यामशरण बाजपेयी निवासी ग्राम गहलौ थाना रूरा जनपद कानपुर देहात उम्र 45 वर्ष अभियुक्त के कब्जे से 250 ग्राम चरस बरामद होने के संबंध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 289/2025 धारा 18/20 NDPS ACT पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 18 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें, थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रूरा पुलिस द्वारा 02 व्यक्ति, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।